

प्रेस नोट –
थाना सकरार

दिनांक- 26/03/2025

- थाना सकरार क्षेत्रान्तर्गत अलग-अलग स्थानों से अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार-
- गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 20-20 लीटर, कुल 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद-
- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सकरार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के कुशल निर्देशन में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध झांसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 26.03.2525 को थाना सकरार पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर थाना सकरार क्षेत्रान्तर्गत अलग – अलग स्थानों से 03 अभियुक्त/अभियुक्ता को 20-20 लीटर अवैध कच्ची के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सकरार पर अभियोग पंजीकृत पर विधिक कार्यवाही की गई।

संक्षिप्त विवरण--

1. आज दिनांक 26.03.2025 को थाना सकरार पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं गश्त के दौरान मुखविर की सूचना पर पेट्रोल पंप के आगे नौरा मोड़ नीम के पेड़ के नीचे थाना सकरार, झांसी से अभियुक्ता विनीता देवी पत्नी सुनील कुमार निवासिनी ग्राम कबूतरा डेरा तेजपुरा थाना सकरार जनपद झांसी उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना सकरार पर मु0अ0सं0-51/25 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
2. उपरोक्त क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को ही थाना सकरार पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखविर की सूचना पर सन्तपुरा को जाने वाली पक्की रास्ता थाना सकरार, झांसी से अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र राम चरण निवासी ग्राम मगरपुर थाना सकरार जनपद झांसी उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। उपरोक्त सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सकरार पर मु0अ0सं0-52/25 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
3. आज दिनांक 26.03.2025 को ही थाना सकरार पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखविर की सूचना पर लुहारी जाने वाली सड़क शीशम पेड़ के नीचे, ग्राम लुहारी थाना सकरार, झांसी से अभियुक्ता मोनिका पत्नी अनुराग निवासिनी ग्राम कबूतरा डेरा कस्बा व थाना सकरार जनपद झांसी उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना सकरार पर मु0अ0सं0-50/25 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

नाम व पता अभियुक्त/अभियुक्ता –

1. विनीता देवी पत्नी सुनील कुमार निवासिनी ग्राम कबूतरा डेरा तेजपुरा थाना सकरार जनपद झांसी उम्र करीब 27 वर्ष
2. चन्द्रभान पुत्र राम चरण निवासी ग्राम मगरपुर थाना सकरार जनपद झांसी उम्र करीब 32 वर्ष
3. मोनिका पत्नी अनुराग निवासिनी ग्राम कबूतरा डेरा कस्बा व थाना सकरार जनपद झांसी उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी – 20-20 ली० अवैध कच्ची शराब (कुल 60 लीटर अवैध कच्ची शराब)

कार्यवाही करने वाली टीम के अधि०/कर्म गण का नाम-

- 1 – अमीराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सकरार जनपद झांसी
- 2 – उ०नि० मेहरबान सिंह थाना सकरार जनपद झांसी
- 3- का० 1001 संजय कुमार थाना सकरार जनपद झांसी
- 4 – म०का० 1327 गुलशन थाना सकरार जनपद झांसी

